



146/2012 दामोदर - मंजरी

दिनांक	आज्ञा पत्र
17-5-18	<p>बार-बार कावाज दिलाई गई। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के वकील कोई हाजिर नहीं आये। कोत- अदम हाजरी एवं अदम पेशवा समाहित होने से अफ़ील वकील की जाती है। फ़ावली बाद तबतीव तकमील दारवेण दफ़त है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p> महाराज जिलाधिकारी एवं पदेन राजपत्र जपित अधिकारी श्रीकर</p>



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official